रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 2016/पौष 16, 1937
No. 06] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2016/PAUSA 16, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2016

फा. सं. पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक **(**संदूषक, आविष और अवशिष्ट**)** संशोधन विनियम**, 2015** का संशोधन करने के लिए, कतिपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम**, 2006 (2006** का **34)** की धारा **92** की उपधारा **(2)** की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र**,** असाधारण**,** भाग **III,** खंड **4** में अधिसूचना संख्या फा.सं.पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई तारीख **5** जून**, 201**5 को प्रकाशित किया गया था**,** उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख साठ दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को **7** जुलाई **, 201**5 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः**,** अब खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 20 और 21 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए**,** खाद्य सुरक्षा और मानक **(**संदूषक, आविष और अवशिष्ट**)** विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है**,** अर्थात् **:—**

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 में 'अवशिष्ट' से संबंधित विनियम 2.3 और उसके अधीन सारणी के पश्चात् निम्नलिखित विनियम और सारणी अंत:स्थापित की जाएंगी,—

"2.4 अन्य संदूषक

2.4.1: स्तंभ 3 में वर्णित खाद्यों पर स्तंभ 2 में वर्णित संदूषकों की मात्रा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 4 में विहित उच्चतम स्तर से अधिक नहीं होगी:

क्रम सं.	**संदूषकों का नाम**	**खाद्य**	**उच्चतम स्तर (मि.ग्रा./कि.ग्रा.)**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मेलामाइन	चूर्णित शिशु फार्मूला	1.0
		तरल शिशु फार्मूला	0.15
		अन्य खाद्य	2.5 ।"

पवन कुमार अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञा.III/4/असा.309]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-**III**, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:

(i) फा. सं. 1-12/एससीआई.पैनल/(अधिसूचना)/एफएसएसएआई/2012, तारीख 3 दिसंबर, 2014;

(ii) फा. सं. पी. 15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवंबर, 2015;

(iii) फा. सं. 1-99/1/एसपी(संदूषक)/एफएसएसएआई/2009, तारीख 4 नवंबर, 2015;

(iv) फा. सं. 1-99/4/एसपी(संदूषक)/एफएसएसएआई/2014, तारीख 4 नवंबर, 2015 ;

(v) फा. सं. 1-10(6)/मानक/एसपी/(मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 4 जनवरी, 2016 ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2016

F. No. P. 15025/264/13-PA/FSSAI.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Amendment Regulations, 2015 were published as required under sub- section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No.P.15025/264/13-PA/FSSAI dated the 5th June, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 7th July, 2015;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub- section (2) of section 92 read with section 20 and 21 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, namely:—

Regulations

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, after regulation 2.3 relating to 'Residues' and the Table thereunder, the following regulation and table shall be inserted,—

"2.4 Other Contaminants

2.4.1: The contaminant mentioned in column 2 on the foods mentioned in column 3, shall not exceed the Maximum Level prescribed in column 4 of the Table given below:

Sl.No.	**Name of the contaminants**	**Food**	**Maximum level (mg/kg)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	Melamine	Powdered infant formula	1.0
		Liquid infant formula	0.15
		Other foods	2.5 ."

PAWAN KUMAR AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.III/4/Exty./309]

Note.—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

(i) F. No.1-12/Sci.panel/(Notification)/FSSAI/2012, dated 3rd December, 2014;

(ii) F. No. P. 15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;

(iii) F. No. 1-99/1/SP(Contaminants)/FSSAI/2009, dated 4th November, 2015;

(iv) F. No. 1-99/4/SP(Contaminants)/FSSAI/2014, dated 4th November, 2015;

(v) F. No. 1-10(6)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 4th January, 2016.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.